रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 439] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 1 1983/आश्विन 9, 1905
No. 439] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 1983/ASVINA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1983

आदेश सं. 30/83

का.आ. 703(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत में आयातित किसी रूप में किसी भी पशु मूल की चर्बी, वसा और/या पिघलाए हुए, बिना पिघलाए हुए तेल या जो अन्यथा रूप से हों के खाने उपभोग के लिए निकासी पर प्रतिबन्ध लगाती है ।

[मिसिल सं. आईपीसी/4/3/(37)/34/83-84]

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st October, 1983

ORDER NO. 30|83

S.O. 703(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby publishes the clearance for home consumption of tallow, fat and|or oils rendered, unrendered or otherwise of any animal origin, in any form, imported into India.

[File No. IPC|4|8(37)|34|83-84]

P. C. JAIN, Chief Controller

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983